न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 05/10 निगरानी पंचायत

देवीदत्त पुत्र सदासुख ब्राहम्ण (खण्डेलवाल) निवासी कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

—प्रार्थी/निगरानीकार

: ब ना म :

1. गिरधारीलाल 2. सीताराम 3. अन्नाराम 4. रामूराम पिसरान भगवानाराम जाति खण्डेलवाल निवासी कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर
5. रूकमणी देवी बेवा स्व. भगवानाराम जति खण्डेलवाल निवासी कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर
6. सुशीला पत्नि कन्हैयालाल करनाणी निवासी कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर
7. ग्राम पंचायत कालू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर
8. पंचायत समिति लूणकरणसर जरिये प्रधान/विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण/गैरनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम,1994 सपठित धारा 27 ए राजस्थान पंचायत अधिनियम,1953 व नियम 272 सामान्य नियम 1961

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री आनंद बजाज उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अविनाशचंद्र व्यास उपस्थित।

: नि र्ण य :

दिनांक 07.01.2020

1. प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश पंचयत समिति लूणकरणसर (प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति लूणकरणसर) दिनांक 25.08.09 व तत्सम्बन्धी समस्त कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे तथा प्रार्थी के हक में विक्रय विलेख व जारी पट्टा पंचायत बेहाल किया व रखा जावे तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के नाम पट्टा जारी करने का आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा पूर्व आदेश निगरानी जिला कलक्टर, बीकानेर दिनांक 20.06.2000 की भी पालना करवायी जावे।

2. अप्राथीगण गैर निगरानीकर्ता को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गयी।

3. तदन्तर उभयपक्ष की गुणावगुण पर बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पूर्व निगरानी सं. 25/97 अनवानी देवीदत्त बनाम ग्राम पंचायत कालू व भगवानाराम में दिनांक 20.06.2000 को ग्राम पंचायत कालू द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.88 के अनुसरण में भगवानाराम के नाम जारी पट्टा सं. 08 दिनांक 26.06.88 तादादी 1027 वर्गमीटर विधि विरूद्ध मानते हुए निरस्त फरमाया गया था। भगवानाराम की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया। पंचायत समिति लूणकरणसर के समक्ष अपील सं. 6 दिनांक 14.12.05 प्रस्तुत की गयी जो विधि विरूद्ध मानते हुए पट्टे खारिज करने का आदेश दिया गया जो जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 20.06.2000 की सरासर अवेहलना है। प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति लूणकरणसर को मौका कमेटी गठित करने मोजिज लोगो के बयान लेने व सदस्यगणो की रिपोर्ट लेने का कतई अधिकार नहीं था। समिति अपने स्वयं को जिला कलेक्टर से सर्वोच्च मानते हुए आदेश जैर निगरानी एक पक्षीय व प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध व निरस्त योग्य है।विद्वान वकील प्रार्थी की यह भी बहस है कि गैर निगरानीकर्ता सं. 6 श्रीमती सुशीला देवी के खिलाफ स्थापना स्थायी समिति लूणकरणसर के समक्ष निर्णय ग्राम पंचायत कालू दिनांक 21.11.78 के प्रस्ताव सं. 2 (27) मिसल नं. 300/78, 79 के विरूद्ध दिनांक 14.12.05 को 26 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी जबकि अपील हेतु 30 दिवस का समय निश्चित है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 के पक्ष में पट्टा सही व विधि सम्मत होने से मियाद बाहर उसे कतई जरीये अपील चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। बहस के समर्थन में वकील प्रार्थी द्वारा सेक्शन 61 राजस्थान पंचायत राज एक्ट, 2003(1)डीएनजे 449, 1985 डबल्यू एल एन (यूसी) 78 एचएन (सी), आरआरटी 2015 (2) 967, 2011 (3) 685, आरएलडब्ल्यू 2003(4), आरएलडबल्यू 2005 (1) 131, 1996 (3) आरएलडबल्यू 133 , आरएलडबल्यू (1)246, 1995 डीएमजे 88, 2010(2) 723 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति लूणकरणसर का आदेश दिनांक 25.08.09 व तत्सम्बंधी समस्त कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

5. विद्वान वकील अप्रार्थी /गैरनिगरानीकर्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि दिनांक 25.08.09 पंचायत समिति लूणकरणसर के आदेश की रिवीजन पेश की गयी। दिनांक 25.08.09 का आदेश मौका जांच तथा मौके व रिकार्ड की समस्त औपचारिकताओ को पूर्ण कर पारित किया गया है। दिनांक 25.08.09 में अप्रार्थीगण को पट्टा जारी नहीं किया गया है बल्कि नियमानुसार पट्टा अप्रार्थीगण को जारी करने के आदेश दिये गये है जो जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 20.06.2000 की अवेहलना नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी/रिवीजनकर्ता को जारी पट्टे पंचायत एक्ट के प्रावधानो के विपरित जारी किये गये जो पंचायत समिति द्वारा सही निरस्त किये गये थे। सुशीलादेवी को जारी पट्टा व देवीदत्त को जारी पट्टा एक ही जगह का पंचायत द्वारा जारी किया गया था जो पंचायत समिति द्वारा सही निरस्त किया गया है। जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 20.06.2000 व पंचायत समिति लूणकरणसर के आदेश दिनांक 25.08.2009 में कतई विरोधाभास नही है। अतः रिवीजन निरस्त फरमायी जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पंचायत समिति लूणकरणसर द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.08.09 विरोधाभाषी है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थायी समिति का आदेश बिना पूर्ण सुनवायी के पारित किया गया है फर्द अहकाम अपील पर पांचो सदस्यो का कोई रोल दर्शित नहीं है। ना ही उनके हस्ताक्षर है। इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 20.06.2000 में प्रार्थी के पट्टे का पूर्ण विवरण आया है। जिसे वर्ष 2005 में जरिये अपील निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। स्थायी समिति द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के हक में पट्टा जारी करने का आदेश दिया गया है जबकि ऐसा अनुतोष चाहा गया है और ना ही ऐसा अनुतोष कानूनन दिया जाना न्यायोचित है। दिनाक 20.06.2000 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी के पट्टे को निरस्त किया गया जो फैसला अंतिम होने के बावजूद उस आदेश को दरकिनार करते हुए आदेश जैर निगरानी पारित किया जाना विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जानी हम न्यायोचित पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति लूणकरणसर (पंचायत समिति, लूणकरणसर) का आदेश दिनांक 25.08.09 व तत्सम्बन्धी समस्त कार्यवाही निरस्त की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक **07.01.2020** को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर